Advance Increments to some Parcel Clerks at New Delhi Station

3670. SHRI MAHMOOD HASAN KHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Parcel Clerks working at New Delhi station were given the benefits of advance increments and other cash awards by the administration for being loyal to the administration during the railway strike 1974;

(b) if so, whether the administration had withdrawn some of the benefits on the complaint of some Member of Parliament; and

(c) if so, action taken against the officials responsible for such lapses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) In one case, initially a cash award of Rs. 200/- was granted but subsequently it was converted into advance increment. The advance increment was, however, withdrawn as the employee's ward had been appointed on the Railways. This had not been effected on receipt of a complaint from an M.P.

(c) Does not arise.

औषधियों के मूल्य

3671. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान औषधियों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इनके मूल्य कम करने के लिए क्या कार्यवही कर रही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में औषधियों की बिक्री के लिए उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख). औषधों के मूल्य कानूनी रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रवधानों के अन्तर्गत नियंत्रित हैं। अन्य पदार्थों की तुलना में औषध और दवाइयों के थोक मूल्य सूचक में (1970-71 के साथ 100 के आधार पर) अन्य पदार्थों में तेज वृद्धि की तुलना में, धीरे धीरे वृद्धि हुई है :—

वर्ष	अन्य पदार्थ	औषध और दवाइयां
1974-75	174.9	108.2
1975-76	173	118.7
1976-77	176.6	133.9

उक्त आदेश के जरिए अन्य पदार्थों के मूल्यों की तुलना में, मूल्यों को उचित स्तरों तक बनाए रखना संभव हो पाया है।

औषधों के मूल्यों को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सेरा, टीका, एनासथेटिक्स और मेडोसीनल ग्रेड आक्सीजन पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं है। सामान्य नामों के अन्तर्गत बेचे जाने वाले सभी सूत्रयोगों पर केवल 1% उत्पाद शुल्क की दर पर रियायत है। जीवन रक्षक 25 अनिवार्य प्रपंज औषधों पर आधारित पेटेंट अथवा स्वामित्व प्राप्त सूत्रयोग मई, 1975 से 12.5% की सामान्य दर के स्थान पर 2.5% उत्पाद शुल्क की रियायत के लिए पात्र हैं। 75 जीवन रक्षक औषध सूत्रयोग जब वे वास्तविक उपभोक्ता द्वारा आयात किए